बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पथ निर्माण विभाग में विधि विशेषज्ञ (Legal Expert) के संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन

पथ निर्माण विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से पथों के निर्माण, जीर्णोद्वार एवं चौड़ीकरण आदि का कार्य कराया जाता है। विभाग और निविदादाता के बीच विवाद होने पर मामला Tribunal में चला जाता है, जिसमें Award भी पारित होते है। Award पारित होने के बाद Award एवं एकरारनामा के शर्त्तों का अध्ययन कर पारित Award के विरूद्ध ससमय उचित कार्रवाई के लिये Full Time विधि विशेषज्ञ (Legal Expert) के संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार, जो भारत के नागरिक हैं, से विहित प्रपत्र में Online आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

पद का नाम	पदों की संख्या	कोटिवार पदों का विवरण	योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय (रूपये में)
विधि विशेषज्ञ (Legal Expert)	02	अनारक्षित–01 अति पिछड़ा वर्ग–01	LLB के साथ 5 वर्ष या LLM के साथ 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।	रू० 64,000/– (चौसठ हजार रूपये) मात्र एक मुश्त।

नियोजन हेतु शर्त्तें :–

1. संविदा के आधार पर नियोजन किये जाने वाले विधि विशेषज्ञों (Legal Expert) को Contract से संबंधित नियमों की अच्छी जानकारी हो एवं वे Full Time के लिए विभाग में अपनी सेवायें दे सकें।
2. विधि विशेषज्ञ का अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष एवं योग्यता LLB के साथ 5 वर्ष या LLM के साथ 3 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।
3. संविदा के आधार पर नियोजन 01 (एक) वर्ष के लिए होगी।
4. निर्धारित मासिक मानदेय एक मुश्त रू० 64,000/– (चौसठ हजार रूपये) मात्र के अतिरिक्त किसी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
5. नियोजन–अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को नियोजन अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
7. आरक्षित कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. Online आवेदन दिनांक 25.06.2019 से दिनांक 16.07.2019 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार होंगे। स्वीकार किये गये Online आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाईनल प्रिंट निकालकर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के पत्राचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे।
9. व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।
10. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्व कोई दावा मान्य नहीं होगा।
11. कोटिवार पदों की संख्या आदर्श रोस्टर बिन्दु के आधार पर अंकित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रोस्टर क्लियरेंस में यदि कोई संशोधन किया जाता है, तो तदनुसार उक्त कोटिवार संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
12. विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.rcd.bih.nic.in का अवलोकन किया जाय। इस वेबसाईट पर Online आवेदन करने का Link उपलब्ध है।

(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।